राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

क्रमांक : प. 1(3)वित्त/अंकेक्षण/2017 जयपुर, दिनांक : 11 अप्रेल, 2017

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय : भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2015–16 में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर भिजवाने एवं अनियमितताओं के लिए वांछित कार्रवाई कराने के संबंध में।

महोदय,

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2015–16 राजस्थान विधान सभा में दिनांक 28–03–2017 को उपस्थापित किया जा चुका है। प्रतिवेदन की प्रति निदेशक, वित्त (बजट) के पत्र क्रमांक प–7(9)वित्त–1(1)आ.व्य./2016 दिनांक 06–04–2017 द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं। यदि प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई हो तो कृपया वित्त विभाग (बजट अनुभाग) से प्राप्त करने की व्यवस्था करावें।

जैसा कि आपको विदित है भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधान सभा (राजकीय उपक्रम समिति) को प्रतिवेदन के सदन में उपस्थापित किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर आवश्यक रूप से भिजवाए जाने हैं।

अतः अनुरोध है कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2015–16 में समाविष्ट आपके अधीनस्थ राजकीय उपक्रमों/निगमों/कम्पनियों से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि 3 माह (दिनांक 27–06–2017 तक) में महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधान सभा (राजकीय उपक्रम समिति) को 25 प्रतियों में भिजवाने का कष्ट करावें। राजस्थान विधानसभा को भिजवाये जाने वाले संवीक्षित उत्तर की चार प्रतियां प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), 2 प्रति वित्त (व्यय–4 एवं पी.आई.) विभाग तथा एक प्रति वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भिजवाए जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। यह भी निवेदन है कि उक्त प्रतिवेदन में दर्शाई गई त्रुटियों/कमियों को मध्यनजर रखते हुए भविष्य के लिए व्यवस्था सुधार एवं अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से समुचित निर्देश जारी कराकर उनकी पालना सुनिश्चित की जावे। प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर वांछित कार्रवाई भी अमल में लाई जानी अपेक्षित है।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र दिनकर)
शासन सचिव, वित्त (व्यय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1.सचिव,राजस्थान विधान सभा (राजकीय उपक्रम समिति), जयपुर।
2.प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
3.महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा/लेखा एवं हक),राजस्थान, जयपुर।
4.समस्त संबंधित राजकीय उपक्रमों/निगमों/कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रतिवेदन में समाविष्ट संबंधित अनुच्छेदों के उत्तर प्रशासनिक विभाग को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कराने की व्यवस्था करें।
5.समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6.निदेशक, बजट, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7.अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल), राजस्थान, जयपुर को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

संयुक्त शासन सचिव